

कार्यालय— जिला न्यायाधीश, बांदा।

नीलामी की सार्वजनिक सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि निम्नांकित दुकानों की नीलामी हेतु वित्तीय वर्ष 2025-26 के शेष समय के लिए निर्धारित न्यूनतम दर से नजारत अनुभाग जिला जजी बांदा में दिनांक 01.08.2025 तक सील बन्द निविदा आमंत्रित की जाती है। दिनांक 02.08.2025 को सांय 4.00 निविदा नजारत अनुभाग में खोली जायेगी।

	दुकान का प्रकार जजी परिसर	न्यूनतम निविदा मूल्य
1.	फोटोकापी शाप	2,76,000 /—वार्षिक (23000 /— मासिक)

- निविदा स्वीकृत होने की दशा में, स्वीकृत निविदा की 1/4 राशि 03 दिन में नकद/डी0 डी0 द्वारा जमा करनी होगी तथा शेष धनराशि तय किस्तों में देय होगी। संदर्भित निविदा बोलने वाले व्यक्ति/संस्था को ठेका प्राप्त करने के लिये निर्धारित स्टाम्प पर अनुबन्ध पत्र 03 दिन के अन्दर निष्पादित करना होगा।
- संस्थान बिना कारण बताए किसी भी निविदा को स्वीकार/अस्वीकार करने का अधिकार रखता है।
- बोली लगाने वाले को सरकारी/अर्द्धसरकारी/स्वायत्त निकाय/प्रतिष्ठित संस्थान में इस तरह का आउटलेट चलाने का कम से कम तीन वर्ष का अनुभव होना चाहिए।
- बोलीदाता के पास पैन नम्बर/जी0एस0टी0 आई0एन0 नम्बर का पंजीकरण होना आवश्यक है।
- बोली लगाने की प्रक्रिया पूरी होने के बाद असफल बोली लगाने वालों की डी0 डी0 वापस कर दी जायेगी।
- सफल बोलीदाता की डी0 डी0 राशि, शर्तों में निर्धारित जमानत राशि जमा करने के बाद वापस की जायेगी।

निविदा के साथ संलग्न किये जाने वाले दस्तावेज—

- निविदा दस्तावेज की प्रति
- अपेक्षित अनुभव प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि
- आधार कार्ड/जी0एस0टी0 पंजीकरण प्रमाण पत्र/ आयकर प्रमाण पत्र पिछले तीन वर्ष का, पैन कार्ड
- पिछले एक साल का बैंक स्टेटमेंट
- बोलीदाता का विवरण तथा आउटलेट चलाने के लिये वस्तुओं/ सेवाओं की सूची

Chandrapal
(चन्द्र पाल—21-7-25)
अध्यक्ष नीलामी समिति/
प्रथम अपर जिला जज,
बांदा

प्रतिलिपि , निम्नांकित कार्यालयों के सूचना पट पर चस्पा एवं प्रकाशन कराये जाने हेतु :-

1. सूचना पट, जिला सूचनाधिकारी, बांदा।
2. सूचना पट, अध्यक्ष, बार एसोसियेशन, बांदा।
3. सूचना पट, नाजिर सदर, कलेक्ट्रेट , बांदा।
4. सूचना पट, जिला परिषद, बांदा।
5. सूचना पट, नगर पालिका परिषद, बांदा।
6. सूचना पट, जनपद न्यायालय, बांदा।
7. प्रधान सम्पादक, दैनिक कर्मयुग प्रकाशन
8. प्रधान सम्पादक, दैनिक श्री इण्डिया
9. प्रधान सम्पादक, दैनिक दोआबा वार्ता
10. प्रधान सम्पादक, दैनिक न्यायाधीश
11. प्रधान सम्पादक , बुन्देलखण्ड लाइव, बांदा।
12. कम्प्यूटर अनुभाग , जनपद न्यायालय, बांदा।
13. कम्प्यूटर अनुभाग, जिलाधिकारी कार्यालय, बांदा

केन्द्रीय नाजिर
जनपद न्यायालय,
बांदा